

नकारा सामान को खरीदने के लिए नियम एवं शर्तें।

- इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय के कण्डम सामान का निरीक्षण पूर्व अनुमति लेकर कर सकता है।
- कार्यालय का जो कण्डम सामान है उसे जैसा है उसी रूप में सम्बन्धित व्यक्ति के द्वारा लेना स्वीकार करना होगा।
- किसी व्यक्ति के द्वारा सामान को सूची के अनुसार देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा क्योंकि सामान पुराना है और उनको नग के हिसाब से अलग-अलग दिखाया जा पाना सम्भव नहीं है।
- नीलामी को रद्द करने का पूरा अधिकार विभाग के पास होगा।
- सामान की आरक्षित कीमत 30000/-रु० निर्धारित की गई है और इच्छुक व्यक्ति जोकि इस सामान को खरीदना चाहता है सील बंद लिफाफे में अपना प्रस्ताव दिनांक 20-05-2016 को सांय: 5:00 बजे तक इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।
- प्राप्त प्रस्तावों को कार्यालय के द्वारा गठित कमेटी के द्वारा अपनी उपस्थिति में खोलकर सबसे ज्यादा कीमत लगाने वाले व्यक्ति को सामान दे दिया जाएगा।
- सबसे अधिक कीमत लगाने वाले व्यक्ति को सामान की पूरी कीमत जमा करवाने के लिए 01 दिन का समय दिया जाएगा और कीमत जमा करवाने के 01 दिन के अन्दर-अन्दर ही यह सामान उसको कार्यालय से उठाना होगा।